भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 779
दिनांक 04.02.2026 को उत्तर के लिए

परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली

779. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) पोर्टल पर आज तक शामिल किए गए मंत्रालयों और सलाहकार समितियों की अद्यतन संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) सीसीएमएस पोर्टल का सक्रिय रूप से उपयोग करने वाले सांसदों की संख्या और पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से वितरित दस्तावेजों, कार्यसूची टिप्पणों और कार्यवाही सारांशों की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इसका आकलन किया गया है कि सीसीएमएस ने विलंब, कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक लागत को प्रभावी ढंग से किस प्रकार कम किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या पोर्टल को और अधिक सुलभ बनाने, डेटा सुरक्षा और हितधारकों के बीच तत्समय समन्वय को और बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के साथ पोर्टल में सुधार करने के लिए कोई कदम प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) 18वीं लोक सभा के गठन के पश्चात, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) का शुभारंभ किया गया था। 42 परामर्शदात्री समितियां (सलाहकार समितियां) गठित की गई हैं, जिनकी संरचना https://oams.nic.in/ccms/Index.aspx पर परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) पोर्टल पर देखी जा सकती है। यह पोर्टल हितधारकों के बीच सुचारू संचार और कार्यसूची टिप्पण, बैठक के कार्यवृत्त आदि जैसे दस्तावेजों के आदान-प्रदान में मदद करता है। पोर्टल में ज़रूरी सुधार करने और हितधारकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर ज़रूरी समीक्षा/पहल करता रहता है।

इस पोर्टल का उद्देश्य विलंब, कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक लागत को काफी कम करना है क्योंकि सभी गतिविधियाँ कागज़ रहित तरीके से की जाएंगी। पोर्टल की उपयोगिता को बेहतर बनाने, सुलभता, डेटा सुरक्षा और हितधारकों के बीच तत्समय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

****